

K. N. Government P. G. College, Gyanpur, Bhadohi-221304, U.P.

(Accredited B Grade by NAAC)

Affiliating University: Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith, Varanasi

Email:principalknpg1951@gmail.com website: www.kngpgc.in

Tentative Calendar for the Academic Year: 2020-21 (As per COVID-19 pandemic guidelines) (Annexure –I & II)

Month	Activities
July	Online Teaching
August	Examination (UG Third year & PG IV Semester), Spoken Tutorial Training Programme for PG Students, Faculty Development Programme, Independence Day, Plantation
September	Examination (UG Third year & PG IV Semester), Admission (UG), National Hindi day, Mission Shakti Programme, etc.
October	Admission & Offline Teaching (PG Classes), Gandhi Jayanti, Sanitation & Cleanliness Week
November	Offline teaching (UG), Community Integration Week, Constitution Day
December	Departmental Association formation, Winter Vacation, Examination (PG III semesters)
January	Departmental Association Activities, National Youth Day, Republic Day, NationalVoter Awareness Programme, etc.
February	Annual Sports, Extra Study Classes, Science Day, NCC,NSS Camps etc.
March	International Women Day, University U.G. Annual Examination [#]
April	University U.G. Annual and PG Semester Examinations [#]
May	University P.G. Semester Examination [#] , Physical Verification of Lab, Library, Office, Equipment & Materials, etc.
June	Summer Vacation, Admission Process
[#] As per notification of affiliating university Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith Varanasi	

Principal

<u>शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध</u> संख्या—५१०४ /सत्तर**-3**–2020–08(20)/2020

Annexure -I

प्रेषक,

farm

योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

 निदेशक, उच्च शिक्षा, उ०प्र0, प्रयागराज। कुलसचिव,

संमस्त राज्य / निजी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग---1

लखनऊः दिनॉक 1,3 अक्टूबर, 2020

विषयः— कोविड—19 महामारी के दृष्टिगत विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षण/पठन—पाठन हेतु सामान्य दिशा—निर्देश।

2.

महोदय,

कोविड—19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन के पत्र संख्या—4007 / 2020 / सीएक्स—3, दिनांक 01 अक्टूबर, 2020 द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों, जिसमें केवल Ph.D शोधार्थियों तथा परास्नातक के छात्रों जिनको विज्ञान एवं तकनीकी विधाओं में प्रयोगशाला सम्बन्धी कार्यों की आवश्यकता पड़ती हों, को 15 अक्टूबर, 2020 से खोलने की अनुमति निम्नानुसार होगी :—

- (क) केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित उच्च शैक्षणिक संस्थान (Higher Education Institution) के प्रमुख रवयं आंकलन करेंगे कि उनके संस्थानों में (Ph.D) शोधार्थी एवं परारनातक छात्रों जो कि विज्ञान एवं तकनीकी विधाओं से हो, को प्रयोगशाला सम्बन्धी कार्यों की आवश्यकता हो, संस्थान के प्रबन्धन द्वारा जिला प्रशासन के परामर्श से की जा सकती है।
- (ख) इसके अतिरिक्त अन्य उच्च शैक्षणिक संस्थान जैसे कि शासकीय/निजी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों को केवल शोधार्थी (Ph.D) एवं परास्नातक विज्ञान एवं तकनीकी विद्यार्थियों के प्रयोगशाला सम्बन्धी कार्यों के लिये खोलने के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार के उपरोक्त (क) के अनुसार निर्गत गाइडलाइंस का पालन किया जाये।

2— विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को दिनांक 15 अक्टूबर, 2020 से खोले जाने पर निम्न बातों का भी ध्यान रखा जाना उचित होगा:—

1— सामान्य उपाय

- (क) विश्वविद्यालय परिसर में 06 फीट की शारीरिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- (ख) अनिवार्य रूप से फेस कवर/मास्क का उपयोग किया जाय।
- (ग) हाथों को बार–बार गंदे न होने पर भी साबुन से हाथ धोना तथा जहाँ तक सम्भव हो, अल्कोहल–आधारित हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करना चाहिए।
- (घ) परिसर में थूकना सख्त वर्जित होना चाहिए।

(ड) टिशू/रूमाल/फ्जेक्स्ड एत्बो के साथ खांसने/छीकनें के दौरान नाक एवं इस्तेमाल किए गए टिश्यू को डिस्पोज करने के लिए समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।

- (च) सभी द्वारा स्वास्थ्य की स्व--निगरानी और जल्द से जल्द किसी बीमारी का रिर्पोट करना।
- (छ) सभी को आरोग्य सेतु का नियमित उपयोग करना।
- (2) संस्था खोलने से पहले:--

with Her

- (क) कन्टेनमेन्ट जोन में रहने वाले शिक्षक / कर्मचारी तथा छात्रगण को संस्थान में आने की अनुमति नहीं होगी।
- (ख) संस्था में गतिविधि शुरू करने से पहले ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, पीएचडी कोर्स तथा स्नातकोत्तर अध्ययन जिसमें छात्रावास, प्रयोगशालायें तथा अन्य सामान्य उपयोगी क्षेत्रों को विशेष रूप से ध्यान रखते हुए 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट से सेनिटाइज कराया जाय।
- (ग) बायोमैट्रिक्स उपस्थिति के बजाय सम्पर्क रहित उपस्थिति के लिये वैकल्पिक व्यवस्था की जाय।
- (घ) परिसर में अन्दर–बाहर आने–जाने वालों के लिये कतार का प्रबन्ध सुनिश्चित किया जाय जिसमें छः फीट की दूरी पर विशिष्ट चिन्ह बनाया जाय।
- (ड) संस्थान में राज्य हेल्पलाइन नम्बर तथा स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के नम्बर आदि भी प्रदर्शित किया जाय।
- (च) एयर कन्डीशन/वेंटीलेशन के संबंध में जारी दिशा–निर्देशों का पालन करना चाहिए।
- (छ) जब तक छात्र कोविड–19 की बीमारी से मुक्त रहेंगे वह लॉकर का उपयोग करते रहेंगे।
- (ज) जिम का प्रयोग स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के पालन के अनुसार करेंगे।
- (झ) स्विमिंग पूल बन्द रहेंगे।

(3) गतिविधियों की योजना एवं निर्धारण

- (क) परिसर में भीडभाड़ से बचने के दृष्टि से शैक्षिक कैलेण्डर योजना बनायी जाय। जितना सम्भव हों एकेडमिक कैलेण्डर में नियमित कक्षाओं और ऑनलाइन शिक्षण के मिश्रण को बढ़ावा देना चाहिए।
- (ख) शिक्षण और प्रशिक्षण कार्य के लिये दिनवार एवं समयवार का निर्धारण संस्था द्वारा किया जा सकता है।
- (ग) प्रयोगशाला में अधिकतम क्षमता को कम करते हुए पुनः निर्धारण किया जाय।
- (घ) वृद्ध कर्मचारी, गर्भवती महिला तथा गम्भीर रूप से रोगी कर्मचारियों को छात्रों के साथ सीधे सम्पर्क वाले कार्यों से दूर रखना चाहिए।

(4) उपलब्धता एवं आपूर्ति का प्रबन्धन

- (क) संस्थान के शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिये फेस कवर, मास्क, हैण्ड वॉश तथा सेनिटाइजर का प्रबन्ध होना चाहिये।
- (ख) थर्मल गन, अल्कोहल वाइप्स तथा 01 प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइट तथा डिस्पोजल पेपर, साबुन, कोविड पर आईईसी सामग्री पर्याप्त आपूर्ति होनी चाहिए।
- (ग) संस्थान में रोगग्रस्त व्यक्ति के ऑक्सीजन स्तर की जांच के लिये पल्स ऑक्सीमीटर की व्यवस्था होनी चाहिए।

Nikhi G.O.

- (घ) पर्याप्त मात्रा में कवर किये गये डस्टबीन और कचरे का डिब्बा उपलब्ध होना चाहिए। इस्तेमाल किये गये वस्तुओं एवं सामान्य कचरे को डिसपोज ऑफ करने के लिये CPCB के दिशा निर्देश का पालन करना चाहिए।
- (ड) हाउस कीपिंग स्टाफ को डिस्पोजल करने के लिये उनको सूचित एवं प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

(5) शिक्षण/प्रशिक्षण संस्थानों को खोलने के बाद:-

(क) <u>संस्थान में</u> प्रवेश करते समयः-

- प्रवेश करते समय भौतिक दूरी के माप दण्ड को अपनाते हुए थर्मल स्कीनिंग तथा हैड सैनिटाइज किया जाना चाहिए।
- परिसर में शैक्षणिक / गैर शैक्षणिक स्टॉफ, छात्रों तथा आगंतुको को अनुमति दी जानी चाहिए।
- कोविड—19 के बारे में निवारक उपायों पर पोस्टर प्रमुखता से परिदर्शित होना चाहिए।
- पार्किंग स्थल, गलियारो में तथा लिफ्ट में उचित दूरी का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।
- आगंतुको का प्रवेश सख्ती से प्रतिबंधित होना चाहिए।

(ख) कक्षा में शिक्षण गतिविधियों का संचालन

- छात्रों को कक्षाओं में बैठने के लिए 06 फीट की दूरी सुनिश्चित किया जाय।
- कक्षाओं में भौतिक दूरी के साथ पर्याप्त समय के लिए अलग–अलग स्लॉट में कक्षाओं की गतिविधियों को पूरा किया जाय।
- शैक्षणिक कार्य हेतु नियमित कक्षा तथा ऑन लाइन कक्षा का मिश्रण होना चाहिए।
- शिक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि स्वयं तथा छात्र शिक्षण गतिविधियों में मास्क पहने हो।
- छात्रों के बीच लैपटाप, नोटकुक, स्टेश्नरी आदि सामान को साझा करने की अनुमति नही दी जायेगी।

(ग) कार्यशालाओं / प्रयोगशालाओं में कौशल आधारित प्रशिक्षण का संचालन

- प्रयोगशाला के उपयोग से पहले यह सुनिश्चित करें के सतहो को सेनिटाइज किया गया हो।
- प्रयोगशाला में कार्य करने वाला व्यक्ति को चार वर्ग मीटर स्थल होना चाहिए।
- प्रयोगशाला में उपकरण के उपयोग करने से पहले और बाद में सेनिटाइज करना चाहिए।

(घ) कॉमन एरिया-लाइब्रेरी कैंटीन कॉमन रूम, जिम आदि में गतिविधियों के सम्बन्ध में

- 06 फीट की भौतिक दूरी बनाये रखनी चाहिए।
- कॉमन एरिया का उपयोग करने वाले व्यक्ति को हर समय मास्क पहना चाहिए।
- जहाँ तक सम्भव हो कैटींन को बन्द रखना चाहिए।
- नकद लेने देन से बचना चाहिए।

Nilehil G O.

- (6) स्वच्छता
 - फर्श की दैनिक रूप से सफाई की जाय।
 - पर्याप्त मात्रा में शौचालय में साबुन तथा अन्य क्षेत्रों में सेनिटाइजर का प्रावधान होना चाहिए।
 - डोर नॉब्स एलेवेटर बटन, हैंडबेल, चेयर, बेंच, वॉशरूम तथा फिक्स्चर को 01 प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइट का उपयोग करके बार–बार छुई जाने वाली सतहों की नियमित रूप से सफाई करनी चाहिए।
 - शिक्षण सामग्री, कम्प्यूटर लेपटॉप, प्रिन्टर नियमित रूप से 70 प्रतिशत एल्कोहल के साथ सफाई करनी चाहिए।
 - सभी पीने तथा हाथ धोने वाले वॉशरूम तथा लैवेटरों की कड़ी सफाई होनी चाहिए।
 - छात्रों एवं कर्मचारियों के लिए अलग—अलग कवर के डिब्बा को क्लास रूम, प्रयोगशाला तथा अन्य कामन एरिया में रखे जाने का इंतजाम होना चाहिए, जिससे फेस कवर/मास्क को डब्बों में फेंका जा सके। उक्त डब्बों को 03 दिन सूखने के बाद डिस्पोज ऑफ की कार्यवाही की जाय। विश्वविद्यालय में आवासीय भवन हों, तो नियमित रूप से स्वच्छता का ध्यान रखा जाय।

3— इसके साथ ही प्रदेश के चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग तथा जिला प्रशासन द्वारा समय—समय पर <u>दिये ग</u>ये अन्य निर्देशों का भी अनुपालन अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय, (योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी) विशेष सचिव।

<u>संख्या— ५१०७ (१) / सत्तर— 3—2020, तद्दिनांकः</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- कुलपति, राज्य विश्वविद्यालय / निजी विश्वविद्यालय, उ०प्र०।
- 2– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 3- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 4– समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ०प्र०।
- 5-- गार्ड फाइल।

आज्ञा से (हरेन्द्र कुमार सिंह) उप सचिव।

Annexure -II

कुलसचिव

REGISTRAR



51 0542 - 2222689 (O) 0542 - 2223099 (R) महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी-२२१००२ MAHATMA GANDHI KASHI VIDYAPITH VARANASI-221002

दिनांकः- **। १** नवम्बर, 2020

कार्यालय–आदेश

सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के पत्र संख्या–14–8/2020 (सीपीपी–11) दिनांक–05 नवम्बर, 2020 में दिये गये दिशा–निर्देश के क्रम्नमें अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या—5453 / सत्तर—3—2020—08 (20) / 20 दिनांक—17 नवम्बर, 2020 (पत्र की प्रति संलग्न है) के दिशा–निर्देश के अनुपालन में कुलपति जी के आदेशानुसार विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में भौतिक रूप से पठन—पाठन पुनः आरम्भ किये जाने हेतू दिनांक–23 नवम्बर, 2020 से छात्रों के 50प्रतिशत के रोस्टर के अनुसार उपस्थिति के आधार पर खोला जाता है। अतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं शासन द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

> डॉ० (साहब लाल मौर्य) कुलसचिव

> > कलसचिव

/ २०२०तद्दिनांक

पत्रांक-कु०स०-कु०स०-2सी०समिअ/10423/विविध-प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् सादर प्रेषितः-

1-मा0कुलपति जी-सूचनार्थ 2-वित्त अधिकारी।

3—समस्त संकायाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष / निदेशक / पाठ्य0प्रभारी |

4– संकायाध्यक्ष–छात्र कल्याण संकाय।

5–निदेशक, गंगापुर, एन०टी०पी०सी० एवं भैरोतालाब परिसर।

6–प्राचार्य–समस्त राजकीय एवं अनुदानित तथा स्ववित्तपोषित महाविद्यालय, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र एवं भदोही।

7–जिलाधिकारी– वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र एवं भदोही।

8–पुस्तकालयाध्यक्ष, डॉ० भगवानदास केन्द्रीय पुस्तकालय।

9—कुलानुशासक |

10—मुख्य गृहपति

11–सहायक कुलसचिव– समिति/परीक्षा।

12–समस्त अधीक्षक एवं कार्यालय प्रभारी।

13—प्रभारी संगणक केन्द्र।

14–सम्पादक–दैनिक समाचार पत्र अमर उंजाला, दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान, आज को इस आशय से कि जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित करने का कष्ट करें।

15—सम्बन्धित पत्रावली।

शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध

संख्या-54-53/सत्तर-3-2020-08(20)/2020

प्रेषक.

मोनिका एस. गर्ग, ' अपर मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में

 समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

3. कुलसचिव,

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश। **निदेशक,** उच्च शिक्षा, उ०प्र0, प्रयागराज।

कुलसचिव, समस्त निजी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

लखनऊः दिनॉक 17 नवम्बर, 2020

विषयः— कोविड—19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालय/निजी विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों में भौतिक रूप से पठन—पाठन पुनः आरम्भ किए जाने के सम्बन्ध में।

2.

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रो0 रजनीश जैन, सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोंग, नई दिल्ली के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–14–8/2020(सीपीपी–11), दिनांक 05 नवम्बर, 2020 के माध्यम से विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को पुनः पोस्ट लॉकडाउन अवधि में खोले जाने हेतु उपलब्ध कराए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों/गाइडलाइन में मुख्यतः मुद्दे तथा चुनौतियॉ, पूर्व से ही की जाने वाली तैयारियॉ तथा विश्वविद्यालय/महाविद्यालयं के खुलने के उपरान्त ध्यान देने वाले महत्वपूर्ण बिन्दु एवं सुरक्षा से सम्बन्धित सावधानियॉ, छात्र, शिक्षक एवं स्टॉफ की संवदेनशीलता एवं केन्द्र एवं राज्य सरकार के स्टेकहोल्डर्स हेतु दिशा–निर्देश दिए गए है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का उक्त पत्र सभी विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों को परिचालित किया गया है।

2– पोस्ट लॉकडाउन अवधि में पठन–पाठन भौतिक रूप से दिनांक 23.11.2020 से आरम्भ किए जाने हेतु गृह (गोपन) अनुभाग–3 द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 01.10.2020 में दिए गए दिशा–निर्देशों तथा 100 से अधिक व्यक्तियों के लिये अनुमति कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर निम्न प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :–

- (a) किसी भी बन्द स्थान यथा, हॉल / कमरे के निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत किन्तु अधिकतम 200 व्यक्तियों तक को फैस मास्क, सोशल डिस्टेन्सिंग, थर्मल स्कैनिंग व सेनेटाइजर एवं हैण्ड वॉश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ।
- (b) किसी भी खुले स्थान/मैदान पर ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल के अनुसार फेस मास्क, सोशल डिस्टेन्सिंग, थर्मल स्कैनिंग व सेनेटाइजर एवं हैण्ड वॉश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ।

उक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित SOP के शर्तों के अधीन विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को खोले जाने की अनुमति संस्था प्रबन्धन द्वारा जिला प्रशासन के परामर्श से दी जा सकती है :--

(1) विश्वविद्यालय / महाविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में गतिविधियों की योजना एवं निर्धारण

विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में अपने परिसर को फिर से खुलने तथा शिक्षण कार्य की प्रकिया को सुचारू रूप से संचालन किए जाने हेतु अपनी योजना विकसित किए जाने की आवश्यकता होगी, जो कि निम्नवत है :--

- संस्थाओं को विभिन्न कार्यकर्मों में समी विभागों एवं छात्रों के बैचों के लिये पूरी तरह रोस्टर के साथ चरणबद्ध तरीके से परिसर खोलने का विवरण तैयार किया जाय।
- शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों तथा छात्रों को आई०कार्ड० पहनना अनिवार्य किया जाय।
- संकाय, छात्र, कर्मचारी को एक दूसरे से बचने के लिये नियमित रूप से जांच की जानी चाहिए।
- कक्षाओं को चरणबद्ध तरीके से चालू किए जाने के सम्बन्ध में सप्ताह में 06 दिवसीय शिड्यूल का पालन किया जा सकता है तथा बैठने की व्यवस्था को शारीरिक दूरी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बनाया जाय।
- विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में कक्षाओं के आकार को कम करने और कक्षाओं के दौरान शारीरिक दूरी को बनाए रखने के लिये कक्षाओं को कई भागों में विभाजित किए जाने पर विचार किया जा सकता है।
- कक्षाओं की उपलब्धता के आधार पर कक्षाओं में भाग लेने के लिये 50 प्रतिशत छात्रों को रोटेशन के आधार पर अनुमति दी जा सकती है।
- ऑनलाइन शिक्षण के लिये शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
- परिसर में आगन्तुकों को बिल्कुल भी अनुमति नही दिया जाना चाहिए या उनके प्रवेश को प्रतिबन्ध किया जाना चाहिए।
- परिसर में भीडमाड़ से बचने के दृष्टि से शैक्षिक कैलेण्डर योजना बनायी जाय। जितना सम्भव हों एकेडमिक कैलेण्डर में नियमित कक्षाओं और ऑनलाइन शिक्षण के मिश्रण को बढावा देना चाहिए।
- शिक्षण और प्रशिक्षण कार्य के लिये दिनवार एवं समयवार का निर्धारण संस्था द्वारा किया जा सकता
 है।
- प्रयोगशाला में अधिकतम क्षमता को कम करते हुए पुनः निर्धारण किया जाय।
- वृद्ध कर्मचारी, गर्भवती महिला तथा गम्भीर रूप से रोगी कर्मचारियों को छात्रों के साथ सीधे सम्पर्क वाले कार्यों से दूर रखना चाहिए।

(2) संस्था प्रमुख की भूमिका

- संस्था के प्रमुख / महाविद्यालय के प्राचार्य शासन के आदेश और निर्देशानुसार कोविड—19 के प्रकोप को देखते हुए SOP तैयार कर सकते है।
- परिसर को खोलने से पहले एक विस्तृत योजना तैयार की जानी चाहिए जिसमें अन्य बातों के साथ स्वच्छता, सुरक्षा एवं स्वास्थ्य उपायों को शामिल किया जाना चाहिए तथा उचित कियान्वयन किया जाना चाहिए। संकाय और कर्मचारियों की मदद से नियमित निगरानी की जानी चाहिए।
- कोविड–19 से लड़ने में सहायता और सहायता के लिये नजदीकी अस्पतालों, स्वास्थ्य केन्द्रों, गैर सरकारी संगठनों, स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ टाईअप की स्थापना की जा सकती है।
- समी शैक्षणिक गतिविधियों के लिए शैक्षणिक कैलेंडर, शिक्षण मोड, परीक्षा मूल्यांकन आदि को पहले से अच्छी तरह से तैयार रखना चाहिए।
- कोविड—19 महामारी से संबंधित विभिन्न मुद्दों को नियत्रंण करने के लिए एक समूह बनाना चाहिए, जो इस कार्य को समूह में संकाय ओर कर्मचारियों, छात्र समुदायों के स्वयंसेवक, गैर सरकारी संगठन, स्वास्थ्य संगठन और सरकारी अधिकारी अथवा शिक्षक को शामिल हो सकते है।
- शिक्षकों, छात्रों एवं कर्मचारियों को संस्था खोले जाने के सम्बन्ध में बनाई गई योजना, शासन द्वारा जारी किए गए निर्देश तथा SOP से अवगत कराया जाना चाहिए।

(3) शिक्षक की भूमिका

- शिक्षकों को संस्थागत योजनायें और SOP प्रकियाओं की पूरी तरह अवगत होना चाहिए।
- प्रत्येक शिक्षक द्वारा उनके द्वारा पढ़ाये जाने वाले विषयों के लिए एक विस्तृत शिक्षण योजना तैयार की जानी चाहिए जिसमें समय–सारणी कक्षा का आकार, वितरण के तरीके असाइनमेन्ट, सिद्धान्त, व्यवहारिक, निरन्तर मूल्यांकन, सेमेस्टर मूल्यांकन आदि शामिल हों।
- शिक्षकों को नवीनतम शिक्षण विधियों और ई—संसाधनों की उपलब्धता के साथ खुद को अपडेट रखना चाहिए।
- शिक्षकों को छात्रों को कोबिड–19 सम्बन्धी स्थिति, सुरक्षित और स्वस्थ्य रहने के लिये बरती जाने वाली सावधानियाँ और कदमों से अवगत कराया जाना चाहिए।
- शिक्षकों को अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की निगरानी करनी चाहिए।

(3) माता-पिता की भूमिका

- माता—पिता को सुनिष्टिचत करना चाहिए। उनके बच्चें घर पर और जब भी बाहर जाय नियमों का पालन करें।
- यदि छात्र अस्वस्थ्य महसूस कर रहे हों, तो उनके माता—पिता को अपने बच्चों को बाहर जाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

- अभिभावकों को सलाह दी जा सकती है कि उनके बच्चों के मोबाइल पर आरोग्य सेतु एप डाउनलोड किया गया हों।
- माता—पिता को उन्हें स्वस्थ्य भोजन की आदतों और प्रतिरक्षा बढाने के उपायों के बारे में सचेत करना चाहिए।
- माता पिता को उन्हें मानसिक शारीरिक रूप से फिट रखने के लिये व्यायाम, योग, ध्यान और सांस लेने के व्यायाम से प्रेरित करना चाहिए।

(4) छात्रों की भूमिका

- सभी छात्रों को फेस कवर/मास्क पहनना चाहिए और सभी निवारक उपाय करना चाहिए।
- मोबाइल में आरोग्य सेत् एप लोड करना चाहिए।
- छात्रों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ्य रहना चाहिए। तन्दरूस्त रह कर वे दूसरों का भी ध्यान रख सकते है।
- छात्रों को ऐसी गतिविधियाँ विकसित करनी चाहिए जो प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिये व्यायाम, योग्य, ताजे फल और स्वस्थ्य भोजन (फास्ट फूड से बचना), समय से सोना शामिल हो।
- छात्रों को कोविड—19 महामारी के मद्देनजर स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उपायों के सम्बन्ध में विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों द्वारा शासन द्वारा जारी दिशा—निर्देशों का पालन करना चाहिए।

(5) सामान्य उपाय

- विश्वविद्यालय परिसर में 06 फीट की शारीरिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- अनिवार्य रूप से फेस कवर/मास्क का उपयोग किया जाय।
- हाथों को बार—बार गंदे न होने पर भी साबुन से हाथ धोना तथा जहाँ तक सम्भव हो. अल्कोहल—आधारित हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करना चाहिए।
- परिसर में थूकना सख्त वर्जित होना चाहिए।
- टिशू/रूमाल/फ्लेक्स्ड एल्बो के साथ खांसने/छीकनें के दौरान नाक एवं इस्तेमाल किए गए
 टिश्यू को डिस्पोज करने के लिए समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।
- सभी द्वारा स्वाख्थ्य की स्व-निगरानी और जल्द से जल्द किसी बीमारी का रिपोट करना।
- सभी को आरोग्य सेतू का नियमित उपयोग करना।

(6) संस्था खोलने से पहले:-

 कन्टेनमेन्टं जोन में रहने वाले शिक्षक/कर्मचारी तथा छात्रगण को संस्थान में आने की अनुमति नहीं होगी।

- संस्था में गतिविधि शुरू करने से पहले ट्रेनिंग इस्टीट्यूट, पीएचडी कोर्स तथा स्नातकोत्तर अध्ययन जिसमें छात्रावास, प्रयोगशालायें तथा अन्य सामान्य उपयोगी क्षेत्रों को विशेष रूप से ध्यान रखते हुए 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट से सेनिटाइज कराया जाय।
- बायोमैट्रिक्स उपस्थिति के बजाय सम्पर्क रहित उपस्थिति के लिये वैकल्पिक व्यवस्था की जाय।
- परिसर में अन्दर–बाहर आने–जाने वालों के लिये कतार का प्रबन्ध सुनिष्टिचत किया जाय जिसमें छः फीट की दूरी पर विशिष्ट चिन्ह बनाया जाय।
- संस्थान में राज्य हेल्पलाइन नम्बर तथा स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के नम्बर आदि भी प्रदर्शित किया जाय।
- एयर कन्डीशन/वेंटीलेशन के संबंध में जारी दिशा–निर्देशों का पालन करना चाहिए। सभी एयर कंडीशन उपकरणों का तापमान 24–300C की सीमा होनी चाहिए, सापेक्ष आर्द्रता 40–70 प्रतिशत की सीमा में होनी चाहिए। ताजी हवा का सेवन जितना सम्भव हो होना चाहिए और कॉस वेंटिलेशन होना चाहिए।
- जब तक छात्र कोविड—19 की बीमारी से मुक्त रहेंगे वह लॉकर का उपयोग करते रहेंगे।
- जिम का प्रयोग स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा—निर्देशों के पालन के अनुसार करेंगे। (available at: https://www.mohfw.gov.in/pdf/Guidelinesony ogainstitutesandgymnasiums 03082 020.pdf).
- स्विमिंग पूल बन्द रहेंगे।

(7) उपलब्धता एवं आपूर्ति का प्रबन्धन

- संस्थान के शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिये फेस कवर, मास्क, हैण्ड वॉश तथा सेनिटाइजर का प्रबन्ध होना चाहिये।
- धर्मल गन, अल्कोहल वाइप्स तथा 01 प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइट तथा डिस्पोजल पेपर, साबन, कोविड पर आईईसी सामग्री पर्याप्त आपूर्ति होनी चाहिए।
- संस्थान में रोगग्रस्त व्यक्ति के ऑक्सीजन स्तर की जांच के लिये पल्स ऑक्सीमीटर की व्यवस्था होनी चाहिए।
- पर्याप्त मात्रा में कवर किये गये डस्टबीन और कचरे का डिब्बा उपलब्ध होना चाहिए। इस्तेमाल किये गये वस्तुओं एवं सामान्य कचरे को डिसपोज ऑफ करने के लिये CPCB के दिशा निर्देश का पालन करना चाहिए।
- हाउस कीपिंग स्टाफ को डिस्पोजल करने के लिये उनको सूचित एवं प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

(8) शिक्षण / प्रशिक्षण संस्थानों को खोलने के बाद:--

(क) संस्थान में प्रवेश करते समय:-

- प्रवेश करते समय भौतिक दूरी के माप दण्ड को अपनाते हुए थर्मल स्क्रीनिंग तथा हैड सैनिटाइज किया जाना चाहिए।
- परिसर में शैक्षणिक / गैर शैक्षणिक स्टॉफ, छात्रों तथा आगंतुको को अनुमति दी जानी चाहिए।
- कोविड—19 के बारे में निवारक उपायों पर पोस्टर प्रमुखता से परिदर्शित होना चाहिए।
- पार्किंग स्थल, गलियारों में तथा लिफ्ट में उचिते दूरी का अनुपालन सुनिष्चित करना चाहिए।
- आगंतुको का प्रवेश सख्ती से प्रतिबंधित होना चाहिए।

(ख) कक्षा में शिक्षण गतिविधियों का संचालन

- छात्रों को कक्षाओं में बैठने के लिए 06 फीट की दूरी सुनिश्चित किया जाय।
- कक्षाओं में भौतिक दूरी के साथ पर्याप्त समय के लिए अलग–अलग स्लॉट में कक्षाओं की गतिविधियों को पूरा किया जाय।
- शैक्षणिक कार्य हेतु नियमित कक्षा तथा ऑन लाइन कक्षा का मिश्रण होना चाहिए।
- शिक्षक यह सुनिष्टिवत करेगा कि स्वयं तथा छात्र शिक्षण गतिविधियों में मास्क पहने हो।
- छात्रों के बीच लैपटाप, नोटबुक, स्टेशनरी आदि सामान को साझा करने की अनुमति नही दी जायेगी।

(ग) छात्रावास।

Aneera Rav G. O. PC-1

- छात्रावास ऐसे मामलों में खोले जा सकते है, जहां सुरक्षा एवं स्वाख्थ्य उपायों का कड़ाई से पालन करना आवश्यक है। छात्रावास में कमरे के बंटवारे की अनुमति नहीं दी जा सकती है। कोविड–19 के लक्षण वाले छात्रों को किसी भी परिस्थिति में छात्रावास में रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
- विभिन्न स्थानों से आ रहे छात्रों को 14 दिनो की अवधि के लिये क्वारंटीन पर रखा जाना आवश्यक है।
- छात्रावास के एरिया में कोई भीड़ नहीं होनी चाहिए। भीड़ से बचने के लिये छात्रों की संख्या को उचित रूप से सीमित करने की आवश्यकता है। छात्रों को छात्रावास में चरणबद्ध तरीके से बुलाया जा सकता है।
- सभी छात्रों की थर्मल स्कीनिंग सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- डायनिंग हॉल, सामान्य कमरे, खेल के क्षेत्र में छात्रों की दूरी सीमित होनी चाहिए।
- रसोई, डायनिंग हॉल, बाथरूम एवं शौचालय आदि की स्वच्छता की निगरानी नियमित रूप से रखी जानी चाहिए।

- डायनिंग हॉल में भीड़ से बचने के लिये छोटे-छोटे बैचों में छात्रों को भोजन के लिये बुलाया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भोजन ताजा पका हुआ हों तथा एक वरिष्ठ कर्मचारी की निगरानी में भोजन बनाया जाना चाहिए तथा बर्तन साफ-सुथरे होने चाहिए।
- भोजन बनाए जाने से पूर्व कर्मचारियों द्वारा फेस कवर, मास्क तथा हाथों को सेनेटाइज किया जाना आवश्यक है।
- छात्रों एवं कर्मचारियों को बाजार में जाने से बचना चाहिए। जहां तक सम्भव हों आवश्यक वस्तुओं को परिसर के भीतर ही उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- हॉस्टल के भोजन कक्ष में छात्रों की संख्या को निर्धारण कर सकते है। भीड़माड़ से बचने के लिये मेस टाइमिंग बढाई जा सकती है।

(घ) कॉमन एरिया—लाइब्रेरी, जिम आदि में गतिविधियों के सम्बन्ध में

- 06 फ़ीट की भौतिक दूरी बनाये रखनी चाहिए।
- कॉमन एरिया का उपयोग करने वाले व्यक्ति को हर समय मास्क पहना चाहिए।
- स्वीमिंगपूल बन्द रखना चाहिए।
- नकद लेने देन से बचना चाहिए।

(ड) स्वच्छता

- फर्श की दैनिक रूप से सफाई की जाय।
- पर्याप्त मात्रा में शौचालय में साबुन तथा अन्य क्षेत्रों में सेनिटाइजर का प्रावधान होना चाहिए।
- डोर नॉब्स एलेवेटर बटन, हैंडबेल, चेयर, बेंच, वॉशरूम तथा फिक्स्चर को 01 प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइट का उपयोग करके बार–बार छुई जाने वाली सतहों की नियमित रूप से सफाई करनी चाहिए।
- शिक्षण सामग्री, कम्प्यूटर लेपटॉप, प्रिन्टर नियमित रूप से 70 प्रतिशत एल्कोहल के साथ सफाई करनी चाहिए।
- सभी पीने तथा हाथ धोने वाले वॉशरूम तथा लैबोटरी की कड़ी सफाई होनी चाहिए।
- छात्रों एवं कर्मचारियों के लिए अलग-अलग कवर के डिब्बा को क्लास रूम, प्रयोगशाला तथा अन्य कामन एरिया में रखे जाने का इतजाम होना चाहिए, जिससे फेस कवर/मास्क को डब्बों में फेंका जा सके। उक्त डब्बों को 03 दिन सूखने के बाद डिस्पोज ऑफ की कार्यवाही की जाय। विश्वविद्यालय में आवासीय भवन हों, तो नियमित रूप से स्वच्छता का ध्यान रखा जाय।

(9) मानसिक स्वास्थ्य के लिये परामर्श एवं मार्गदर्शन

- सभी संकायों के सदस्यों, छात्रों और कर्मचारियों को "मनोदर्पण" नाम के वेब पेज से अवगत कराया जाना चाहिए। वेब पेज में सलाह, व्यवहारिक सुझाव, पोस्टर, वीडियो, साइको सोशल सपोर्ट, FAQ तथा ऑनलाइन क्योरी से अवगत कराया गुया है। इसके अलावा एक राष्ट्रीय टोल फी हेल्पलाइन नम्बर-8445440632 विश्वविद्यालय / महाविद्यालयों के छात्रों के लिये Outreach स्थापित किया गया है जो उनके मानसिक स्वास्थ्य और मनोसमाजिक मुद्दों को दूर करने के लिये टेली काउन्सिलिंग प्रदान करेगा।
- विश्वविद्यालय / महाविद्यालय में मानसिक स्वास्थ्य, मनोवैज्ञानिक चिन्ताओं तथा छात्रों की भलाई के लिये एक हेल्पलाइन नम्बर स्थापित करना चाहिए, जिन्हें काउन्सलर और चिन्हित संकायों द्वारा नियमित रूप से मानिटरिंग करने की आवश्यकता है।
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के वीडियो लिंक https://www.mohfw.gov.in/on विश्वविद्यालय / महाविद्यालय की वेबसाइट पर तथा ई–मेल के माध्यम से छात्रों और फैकल्टी के साथ, सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप एवं ट्विटर आदि के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिये व्यवहारिक सुझाव से अवगत कराया जाय।

3– इसके साथ ही प्रदेश के चिकिल्सा एवं परिवार कल्याण विभाग तथा जिला प्रशासन द्वारा समय–समय पर दिये गये अन्य निर्देशों का भी अनुपालन अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जायेगा।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीया. A 17/21 (मोनिका एँस. गर्ग) अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 5453(1)/सत्तर-3-2020, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

- 1- निजी सचिव, मा० उप मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।
- 2- अपर मुख्य सचिव, मां० मुख्यमंत्री, उ०प्र०।
- 3- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- 4- अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ०प्र० शासन।
- 5- कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय/निजीं विश्वविद्यालय, उ०प्र०।
- 6- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 7- समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ०प्र०।
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से (योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी) विशेष सचिव।